प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

“Refresher Course for Police Inspectors”

दिनांक 16-09-2019 से 20-09-2019

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 16-09-2019 से 20-09-2019 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 25 पुलिस निरीक्षकगण ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:45 AM तक परिचय और पंजीकरण, प्रथम सत्र में श्री कैलाश चन्द्र जाट, डीआईजी, आरपीए ने रिपोर्ट लेखन, संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग, पावरपॉइंट प्रस्तुति एवं तनाव प्रबंधन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्रीमती रानू शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सामुदायिक पुलिस, ने सामुदायिक पुलिसिंग, छात्र पुलिस कैडेट परियोजना, पुलिस मित्र पर अपना व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अनिवार्य प्रावधानों और अन्वेषण में क्या करें और क्या न करें पर विस्तृत रूप से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में डॉ0 सुमन राव, पी.ओ. आरपीए ने घरेलु हिंसा अधिनियम, कार्य रूथल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, पोक्सो अधिनियम, 2015, 166ए आईपीसी, पीडित प्रतिकर पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री अमरजीत मस्ताना, एडवोकट, जयपुर द्वारा अदालत में सबूत देन की कला पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्री सुरेश केमार, पुलिस उप अधीक्षक, आरपीए ने पम्प एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट का उपयोग एवं हेलमेट कैमरे का डेमों पर चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री महेन्द्र पीपीलीवाल ने साक्ष्य संग्रह और केस अध्ययन पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री नन्द कुमार कटेवा, प्रोग्रामर, आरपीए ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस पर अपना व्याख्यान दिया। तीसरे दिन के अन्तिम सत्र एवं पंचम दिन के प्रथम सत्र में श्री परमेन्द्र सिंह, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य, फाइलें, हैश वैल्यू फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईपी एड्रस, ईमेल एनालिसिस, एफबी पर ब्लॉकिंग, सर्विस प्रोवाइडर, राइट ब्लॉकर्स एवं फेसबुक मामलों की जांच, फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध ईमेल विश्लेषण, राइट ऑफ ब्लॉकर किट का उपयोग आदि के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ एवं पंचम दिन 10:00 - 10:30 A.M. तक निदेशक महोदय, आरपीए द्वारा प्रतिभागियों से कोर्स के संबंध में चर्चा कर साइबर क्राइम, राइट ऑफ ब्लॉकर किट का उपयोग का अतिरिक्त सत्र करवाया गया। प्रथम सत्र में श्री एच.पी. यादव, आई.बी. अधिकारी (सेवानिवृत) ने केस स्टडी के साथ तकनीक पूछताछ के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्रीमती परम ज्योति, आईपीएस, निदेशक, इंटेलिजेंस ट्रनिंग अकादमी, जयपुर ने मानसिक स्वास्थ्य और पोषण पर पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में डॉ. राजेश चौधरी, सहायक निदेशक डीएनए डिवीजन, एफएसएल, जयपुर ने अन्वेषण में डीएनए की भूमिका और प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित करने के बारे में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन के अन्तिम सत्र में श्री एसएन भोजक, एडीपी (सेवानिवृत) ने मिश्रित प्रकृति (सिविल, आपराधिक, एनआई अधिनियम आदि) से संबंधित अन्वेषण एवं कानूनी पहलूओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 20.09.2019 को कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 02 में आयोजित किया गया। श्री मुकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक, सहायक कोर्स निदेशक द्वारा पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं प्रतिभागियों द्वारा प्रजेन्टेशन दिया गया। श्री विजय कुमार सिंह, आईजीपी रूल्स, जयपुर ने प्रतिभागियों से कोर्स के संबंध में चर्चा कर कोर्स की महत्ता के बारे में बताया व प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। सहायक कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा।